

R-341-113

- (1) अनवर पिता दिलावर
 - (2) मोहम्मद लियाकत पिता दिलावर
 - (3) पीरबक्श पिता सोहराब
 - (4) रफीक पिता सोहराब
 - (5) मोहम्मद मकसूद पिता ईस्लाम
 - (6) मोहम्मद मकबूल पिता ईस्लाम
 - (7) मोहम्मद मेहबूब पिता ईस्लाम
- सभी निवासीगण-ग्राम-खजराना,
तहसील व जिला-इन्दौर

...निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण

विरुद्ध

- (1) दिलावर पिता स्व. श्री आलम पटेल
 - (2) सोहराब पिता स्व. श्री आलम पटेल
 - (3) इस्लाम पिता स्व. श्री आलम पटेल
- सभी निवासीगण-कालेज कॉलोनी, पटेल मोहल्ला,
खजराना, इन्दौर (म.प्र.)
- (4) त्रिशला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर
तर्फे अध्यक्ष
दिलीप पिता श्री आनन्दीलाल सिसौदिया,
निवासी-सिल्वर आर्केड-56,
1, न्यू पलासिया, इन्दौर

...प्रत्यर्थीगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर, संभाग इन्दौर के यहाँ प्रचलित राजस्व प्रकरण क्रमांक 95/अपील/2012-13 में पारित प्रोसिडिंग आदेश दिनांक 15.07.2013 से व्यथित एवं दुःखी होकर अन्यो के अतिरिक्त आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत की है ।



16-8-2016

आयुक्त

आवेदकगणों की ओर से सूचना उपरल
कोई भी उपाधिक नहीं। आवेदक क्रमांक 4
की ओर से श्री नीवेश जगतप अभिभाषक
उपाधिक। शहयता के संदर्भ अपा आयुक्त के
आदेश दिनांक 15-7-2013 की सत्य परिधिर्षि का
अवकोचन किया गया। अपा आयुक्त द्वारा
इस निस्कर्ष के साथ आवेदकगण का आवेदन पत्र
निस्स किया गया है कि थार्ड के लिखित पत्रकार
के, जब उन्हें लहबील अत्रावम में पत्रकार वर्ग
की कार्यवाही कला भी, इस स्तर पर पत्रकार

16/08/16
for Respondent
No. 4

नहीं बनाया जा सकता है, जिसमें प्रथम
दृष्टया कोई अवैधानिकता पहिचानित नहीं
होती है। अतः निगरनी अग्रहम
की जाती है।

अध्याक्ष